ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2023; 9(3): 155-160
www.allresearchjournal.com
Received: 18-12-2022
Accepted: 25-01-2023

लक्ष्मी कुमारी
शिक्षिका, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

Corresponding Author:
लक्ष्मी कुमारी
शिक्षिका, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

घरेलू कामकाजी महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

लक्ष्मी कुमारी

सारांश
घरों में काम करने वाली महिलाएं अर्थ उपार्जन हेतु सुबह से शाम तक घरों में घरेलू कामकाज करती हैं। गरीबी, महंगाई एवं दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महिलाएं घर से बाहर निकलकर दूसरे के घरों में जाकर काम करती हैं। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण घरेलू कामकाजी महिलाओं की मांग में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन हुआ है।
इससे उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आयकताओं तक को पूरा करने के लिये पति पर निर्भर होना पड़ता था वहीं आज वे स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।घरेलू कामकाजी महिलाओं की संख्या करोड़ों में है। आश्चर्य की बात है कि इन्हें अभी तक कामगार का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नारी उत्पीड़न का एक प्रमुख रूप यौन उत्पीड़न है। स्त्रियाँ जहाँ कार्य करती हैं, वहाँ उनके मालिकों एवं बॉस द्वारा कभी–कभी स्त्रियों का यौन शोषण भी किया जाता है। उन्हें ऐसा करने के लिए आर्थिक एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाते हैं और समर्पण न करने की स्थिति में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें परेशान किया जाता है, उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया जाता है जिससे तंग आकर या तो वे नौकरी छोड़ देती हैं या समर्पण कर देती हैं।
सरकार द्वारा घरेलू कामगारों के लिए किए जा रहे प्रयास अपर्याप्त है। अतएव इस संबंध में सरकार द्वारा गम्भीरता से कई कदम उठाने की जरूरत है।

कूटशब्द : उपार्जन, दासप्रथा, निराश्रित, पलायन, पितृसत्तात्मक मानसिकता, जीवनस्तर, श्रमशक्ति, उत्पीड़न, आनन्दमय, उल्लासपूर्ण, स्वायत्त

प्रस्तावना
घरेलू कामकाजी महिलाओं से हमारा अभिप्राय है, वह महिला जो अर्थ उपार्जन हेतु सुबह से शाम तक एक घर या कुछ अधिक घरों में घरेलू कामकाज जैसे झाड़ू–पोंछा, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना एवं घर के अन्य छोटे–मोटे कार्य करती है।
घरों में काम करने वाली महिलाएं अर्थात् घरेलू कामकाजी महिलाएँ जो सुबह से शाम तक एक घर या कुछ अधिक घरों में घरेलू कामकाज करती हैं। ये कामकाजी महिलाएं अपने घर, परिवार एवं बच्चों को भी संभालती हैं और घर के बाहर जाकर भी काम करती हैं। अमूमन ये निम्न वर्ग की महिलाएं होती हैं जो अपने घर का काम निपटाने के पश्चात् जो समय मिलता है, उसे इस्तेमाल करती हैं तथा परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग करती हैं। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण घरेलू कामकाजी महिलाओं की मांग में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन हुआ है। शहरों की गन्दी बस्तियों एवं तंग जगहों में ग्रामीण निर्धनों की एक बड़ी संख्या बसती है। गरीबी, महंगाई एवं दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महिलाएं घर से बाहर निकलकर दूसरे के घरों में जाकर काम करती हैं और इसी तरह जहां भी उन्हें काम मिलता है वहाँ जाकर काम करती हैं। इससे उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आया है।
पहले जहां स्त्री को अपनी आवश्यकताओं तक को पूरा करने के लिये पति पर निर्भर होना पड़ता था वहीं आज वे स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। नगरों में महिलाओं ने एक बार पुनः अपनी महत्ता सिद्ध कर दी है। आज कई विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिलाएं घरों में घरेलू कार्य जैसे बर्तन धोना, झाड़ू–पोछा, कपड़े धोना जैसे कार्य करके स्वयं को आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। महिलाओं को इन कार्यों के करने से किसी प्रकार की सामाजिक असुरक्षा का सामना भी नहीं करना पड़ता है। क्योंकि ये जिस पारिवारिक माहौल को अपने परिवार में छोड़ कर जाती हैं वही पारिवारिक माहौल उन्हें अपने कार्य करने के घर में मिल जाता है।
परंतु वास्तव में इस काम को करने से महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इन कार्यों को करने वाली महिलाओं को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। परंतु एक

और प्रश्न जो हमारे सामने आता है वह है कि इन महिलाओं की आगे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? क्या वह भी इन्हीं महिलाओं के समान ही दूसरे लोगों के घरों में काम करके अपना सारा जीवन निकाल देंगी। प्रस्तुत अध्ययन में इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया गया है। ये महिलाएं अनपढ़ होने के कारण अथवा मजबूर होने के कारण सामान्यतः अपना सारा जीवन इन्हीं घरेलू कार्यों को करते हुए व्यतीत कर देती है।

इसीलिये इन्हें घरों में काम करने वाली महिला की संज्ञा दी जाती है जो समाज के निम्न वर्ग से आयी होती है।

यह अध्ययन इन्हीं घरों में काम करने वाली महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित करता है। समाज की इस वर्ग की महिलाओं पर अध्ययन काफी कम हुये हैं। इस अध्ययन में बोध गया में निवास करने वाली घरेलू कामकाजी महिलाओं का अध्ययन किया गया है तथा इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है।

वह महिला जिसकी नियुक्ति किसी घर में घरेलू कार्य के लिए होती है, पारिश्रमिक के रूप में नकद रूपये लेती है, वह सीधे भी आ सकती है या किसी एजेंसी के माध्यम से भी आ सकती है। अतः ऐसी महिलाओं को घरेलू कामगार की श्रेणी में रखा जा सकता है। घरेलू कामगार को कई रूपों में बांटा जा सकता है। जैसे–

घरेलू कामकाजी महिलाओं से हमारा तात्पर्य है, वह महिला जिसकी नियुक्ति किसी घर में घरेलू कार्य के लिए होती है। पारिश्रमिक के रूप में नकद रूपये लेती है। वह सीधे भी आ सकती है या किसी एजेंसी के माध्यम से भी आ सकती है। अतः ऐसी महिलाओं को घरेलू कामगार की श्रेणी में रखा जा सकता है। घरेलू कामगार को कई रूपों में बांटा जा सकता है। जैसे–कोई महिला कामगार कई घरों में जाकर सुबह और शाम निर्दिष्ट घंटे के लिए काम करती हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कई महिला कामगार को केवल सुबह में ही बुलाया जाता है और किसी को केवल शाम में ही खास समय पर आना होता है। ऐसी कामगार महिलाओं के लिए प्रत्येक दिन विशिष्ट कार्य करना होता है। जैसे झाड़ू–पोंछा, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना इत्यादि। इन्हें अंशकालिक कामगार की श्रेणी के अन्तर्गत रखा जा सकता है। दूसरा, काम वाली को सामान्यतः पूरा दिन घर में रहना पड़ता है और घर की देखभाल करनी होती है और फिर शाम में वह अपने घर चली जाती है। तीसरा, वह कामगार महिला जो नियोक्ता का घर छोड़कर नहीं जा सकती है। अर्थात् उसे नियोक्ता के परिसर में ही रहना पड़ता है।

घरों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा मोटे तौर पर 35 तरह के कार्य संपादित किए जाते हैं। उन कार्यों में सामान्य तौर पर ये अग्रलिखित कार्य हैं– बर्तन धोना, झाड़ू–पोछा या घर की साफ–सफाई, कपड़ा धोना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बीमार व वृद्धों की देखभाल करना, बाहर से सामान खरीदना, बागवानी, वाहन चलाना, इत्यादि। हलांकि इनमें से कुछ काम पुरुष घरेलू कामगारों द्वारा किए जाते हैं। वैसे, सभी काम ज्यादातर महिला घरेलू कामगार द्वारा किया जाता है।

घरों में काम करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन 14–18 घंटा काम करना पड़ता है। ये थकान, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द झेलती रहती हैं। काम के दौरान इनके हाथ ज्यादातर समय डिटरजेंट के पानी के सम्पर्क में रहते हैं। इनके हाथों की उंगलियों में घाव हो जाते हैं। ठंढे पानी के उपयोग से उंगलियां सड़ जाती हैं और अकड़ जाती हैं। हड्डियों में ठंढ भर जाता है। कार्यस्थल में इन्हें शौचालय इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है। इसी के वजह से ये कम पानी पीती हैं। कम पानी पीने के कारण वे खुजली, इन्फेक्शन और आगे चलकर किडनी रोग से भी प्रभावित होती हैं।

महिलाओं के लिए घरेलू काम दुनिया के सबसे पुराने रोजगार के साधनों में से एक रहा है। शहरों में जो महिलाएं घरेलू कामकाज के लिए रखी जाती हैं, अमूमन वे गांवों से आती हैं। गांवों से पलायन करने के पश्चात् शहरों में इनके घर के मर्द कई दूसरे काम में लग जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे सरल होता है, दूसरे के घरों में जाकर काम करना। पलायन करने वाले ऐसे परिवार अमूमन गरीब और पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती है।

महिलाओं में शिक्षा और कौशल का अभाव होता है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए सबसे आसान काम घरेलू काम है। आजीविका को चलाने में ये महिलाएं अपने घर को मदद करती हैं। इसतरह गरीबी से मजबूर इन महिलाओं को शहर की ओर पलायन करने के पश्चात् असंगठित क्षेत्रों में काम मिलता है।

बेरोजगारी, गरीबी, सूखा, बाढ़, कृषि में नुकसान, विकास के नाम पर सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण, विस्थापन, दलित वर्ग का उत्पीड़न, मूलभूत सुविधाओं का अभाव इत्यादि ऐसे कारण हैं जो ग्रामीण परिवारों को शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर करते हैं।

इस असंगठित क्षेत्र में कार्यबल का दो तिहाई हिस्सा महिलाएं भरती हैं। ये कामगार महिलाएं अमूमन झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं आसाम जैसे पिछड़े राज्यों से आती हैं। बहुत कम उम्र में ही इनको ऐसे राज्यों से घरेलू काम के लिए लाया जाता है। बहुत सारे एजेंट हैं जो इन गरीब बच्चियों की आपूर्ति करते हैं। इनके लिए कोई निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं है। इन्हें भोजन और कम वेतन पर रखा जाता है। दास प्रथा की समाप्ति तो हो गई है, लेकिन यह दासप्रथा का दूसरा रूप है। ऐसी लड़कियों को नौकरी देने वाले धनाढ्य और नव धनाढ्य वर्ग के लोग हैं। इन बच्चियों के साथ मालिक और कामगार का संबंध है। जमींदार की तरह ये पेश आते हैं। ये इन बच्चियों को अपना गुलाम समझते हैं। इन परिवार के सदस्यगण ऐसी बच्चियों को इंसान भी नहीं समझते हैं। घरेलू कामगारों की बदहाली के लिए मुख्य रूप से राज–सत्ता जिम्मेवार है। राज–सत्ता की उदासीनता के कारण ही इन मालिकों को खुली आजादी मिल गई है।

हमारे देश में करोड़ों की संख्या में महिलाएं घरों में कामगार के रूप में काम करती हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में इनकी भी भूमिका है, लेकिन इनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है। अपने देश की अर्थव्यवस्था में इसे गैर उत्पादक कामों की श्रेणी में रखा जाता है। यही कारण है कि इनका कभी आकलन नहीं किया जाता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान है? इन घरेलू कामगारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इन महिलाओं को घर के काम में केवल मददगार के रूप में माना जाता है जबकि ये ''लाइफ लाइन'' हैं। ये यदि नहीं हों तो एक कार्यशील परिवार का विकास पूरी तरह से अवरूद्ध हो जायेगा। इन बड़े लोगों का जीवन रूक जायेगा। इन महिला कामगारों के, बिना इनका घर चल ही नहीं सकता है। ये परिवार पूरी तरह से इन्हीं पर अवलम्बित हैं। इनके परिवार के लिए ये लाइफ लाइन हैं। इसके बावजूद इन महिलाओं की कितनी मजदूरी हो, यह पूर्ण रूप से नियोक्ता पर निर्भर है।

घरों में जाकर या रहकर काम करने वाली महिलाओं को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन समस्याओं की शुरुआत तो घर से हीं शुरु हो जाती है। घर में उन्हें अच्छा माहौल नहीं मिलता है। परिवार में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। सहयोग नहीं मिलता है। कार्यस्थल पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। असुरक्षा की स्थिति हमेशा बनी रहती है। महिला घरेलू कामगार के श्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अर्थात् उनके काम को अहमियत नहीं दी जाती है। इस पेशे को समाज में सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता है। इसलिए समाज का नजरिया भी इन महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं होता है। इन्हें दाई, बाई या नौकरानी कहा जाता है।

घरेलू कामगार महिलाएं अमूमन दलित एवं पिछड़ी जातियों से होती हैं। इस कारण वे जातिगत भेदभाव का सामना भी करती हैं। इनके भोजन करने का बर्तन अलग होता है। भोजन करने के बाद वे इस बर्तन को साफ कर कहीं अलग रख देती हैं। इनके बर्तन का परिवार के बर्तन के साथ नहीं रखा जाता है।

बासी भोजन, फटे–पुराने कपड़े इत्यादि सामान इन्हें दिया जाता है। इनके आत्मसम्मान का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। ये गरीब महिलाएं अपनी नियति मानकर चुपचाप सहन करती हैं।

कार्यस्थल पर इनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी होती हैं। ऐसी स्थिति आने पर समाज इन्हीं को दोषी मानता है। भारत में घरेलू नौकर व नौकरानियों के साथ हिंसा, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, एवं अमानवीय व्यवहार किया जाता है। घरेलू कामगार महिलाओं के साथ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। इन स्त्रियों को अन्य कामगारों की तरह किसी तरह की कोई सुविधा हासिल नहीं है। महिलाओं के साथ तरह–तरह से क्रूरता, अत्याचार और शोषण होता है। मीडिया में आए दिन दिल दहलाने वाली घटनाएं छपती रहती हैं। कुछ घरेलू कामगार प्रताड़ना से तंग आकर जान भी दे देती हैं। सबसे दुखद स्थिति यह है कि समाज के संपन्न और समझदार तबका द्वारा इनके साथ जुल्म किया जाता है। कामगार महिलाओं एवं नाबालिगों के साथ शर्मनाक घटनाएं घटित होती हैं। राजनेता, चिकित्सक, इंजीनियर, व्यापारी, वकील और सरकारी अधिकारियों की बीबियां कामगार महिलाओं के साथ तरह–तरह से क्रूर घटनाओं को अंजाम देती हैं। इनके साथ क्रूरता का व्यवहार चारदीवारी के भीतर होता है। नियोक्ता के द्वारा अत्याचार चाहे वह शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक हो, सबकुछ बिना दर्द बताए सहती रहती हैं जबतक कि कोई बड़ी और भयानक दुर्घटना न हो जाए, तब तक वह अत्याचार मीडिया के पास नहीं आ पाता है।

नारी उत्पीड़न का एक प्रमुख रूप यौन उत्पीड़न है। स्त्रियाँ जहाँ कार्य करती हैं, वहाँ उनके मालिकों एवं बॉस द्वारा कभी–कभी स्त्रियों का यौन शोषण भी किया जाता है। उन्हें ऐसा करने के लिए आर्थिक एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाते हैं और समर्पण न करने की स्थिति में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें परेशान किया जाता है, उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया जाता है जिससे तंग आकर या तो वे नौकरी छोड़ देती हैं या समर्पण कर देती हैं।

इसप्रकार यह स्पष्ट होता है कि कार्य स्थल पर घरेलू कामकाजी महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं ये महिलाएं घरेलू हिंसा की भी शिकार हैं। अनेकों महिलाओं के पति शराब का सेवन करते हैं और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं तथा दुव्यर्वहार करते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं कामकाजी महिलाओं के कंधे पर आ जाती है। ऐसा देखा गया है कि यदि कार्यस्थल पर इनके साथ यौन दुव्यर्वहार होता है तो समाज ऐसी महिलाओं को हीं दोषी मानता है। हमारा समाज पितृसत्तात्मक मानसिकता से ग्रस्त है। ऐसा समाज महिलाओं को ही दोषी मानता है। घरेलू कामकाजी महिलाओं के साथ हिंसा व दुव्यर्वहार की खबर समाचार पत्रों में छपती रहती है। ये महिलाएं जहां काम करती हैं, जैसे–राजनेता, व्यापारी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रोफेशनल्स, बैंक, बीमा कर्मचारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर एवं सरकारी अधिकारी इत्यादि सभी शामिल हैं।

घरेलू कामकाजी महिलाओं की संख्या करोड़ों में है। आश्चर्य की बात है कि इन्हें अभी तक कामगार का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इनके काम को काम नहीं माना जाता है। इनकी भूमिका को एक सहयोगी के रूप में देखा जाता है। परिणामतः इन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इनका कोई वाजिब मेहनताना तय नहीं है। ऐसी महिलाओं के पास मोलभाव करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इनके काम के घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। काम की सुरक्षा भी नहीं है। कोई अनुबंध नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। यदि ये किसी कारण से अनुपस्थित रहती है तो इनके जगह पर दूसरे को रख लिया जाता है। अतः घरों में काम करने वाली महिलाओं के प्रति हमारा समाज संवेदनशील नहीं है। ये कामकाजी महिलाएं सुबह से शाम तक लगातार काम में व्यस्त रहती हैं। इन्हें अवकाश नहीं मिलता है। काम के दबाव के कारण शारीरिक रूप से कमजोर व बीमार होती चली जाती है। व्यस्तताओं के कारण ये अपने पारिवारिक व सामाजिक संबंधों के समय नहीं दे पाती हैं। फलतः इनकी जिंदगी उबाउ एवं नीरस हो जाती है।

कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये अशिक्षित होती हैं। इनके पास कोई कौशल नहीं होती है। यही कारण है कि किसी और तरह का रोजगार इन्हें नहीं मिल पाता है। अंततः यह घरों में काम करने को मजबूर होती हैं।

अध्ययनों से यह तथ्य प्राप्त हुआ है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबीन की मात्रा 3 ग्राम ही पाई गई है जबकि महिलाओं में इसका सामान्य स्तर 11.5 ग्राम–15.5 ग्राम होता है। इनके पास समय नहीं होता है कि ये सरकारी अस्पतालों में अपना हेल्थ चेकअप कर सकें। वहां बड़ी लाइन लगती है। प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं। जहां ये काम करती हैं, वहां इन्हें छुट्टिया नहीं दी जाती है। मजदूरी करने या काम से हटाने के वजह से ये छुट्टियां नहीं ले पाती हैं। परिणामस्वरूप इनका रोग बढ़ता चला जाता है।

समस्या यह है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं का कोई संगठन नहीं होता है। इसलिए ये अपनी आवाज नहीं उठा सकती है। यदि इनके साथ नियोक्ता या उसके परिवार का कोई सदस्य हिंसा करता है, तो पुलिस में शिकायत के अलावा और कोई फोरम नहीं है, जहां वे अपनी बात रख सकें। कुछेक शहरों में हीं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा घरेलू कामगार महिलाओं के संगठन बने हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून है, इसी में घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे उनकी कार्य दशा बेहतर हो और उन्हें सही पगार मिल सके। हाँ, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होनी वाली लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए जो कानून बना है, उसमें घरेलू कामगार महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 16 जून 2011 को घरेलू कामगार सम्मेलन में घरेलू कामगारों के अधिकार, नीति व सिद्धांत की घोषणा की है। इस सम्मेलन को घरेलू कामगार कन्वेंशन 189 के नाम से जाना जाता है। यह घरेलू कामगारों के मूलभूत अधिकारों की पुष्टि करता है।

सरकार द्वारा घरेलू कामगारों के लिए किए जा रहे प्रयास अपर्याप्त है। अतएव इस संबंध में सरकार द्वारा गम्भीरता से कई कदम उठाने की जरूरत है। घरेलू कामगारों के लिए जो राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण अभी तक संसद से पास नहीं हो हो पाया है।

घरेलू कामगार महिलाओं को अपने हक के लिए खुद लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए संगठन आवश्यक है। संगठित होना होगा और मजदूरों के व्यापक संघर्ष के साथ अपने को जोड़ना होगा।

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि समाज में अभी भी सामंती सोच मौजूद है। इसको समाप्त करने की जरूरत है। सभी के काम को सम्मान की जरूरत है। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।

कई राज्यों में घरेलू कामगार महिलाओं ने यूनियन के बल पर अपनी आवाज बुलंद करने लगी है। इसकी शुरूआत पुणे शहर से हुई है। 1980 में पुणे शहर में पहला घरेलू कामगारों की हड़ताल को याद किया जाता है। 1980 से पहले घरेलू कामगार महिलाओं

के जीवन की कठिनाइयां एक राजनैतिक संघर्ष के रूप में उभर कर नहीं आ सकी थी। 1984–1996 के बीच घरेलू कामगारों के कई सफल हड़ताल हुए। इन हड़तालों के बाद इनकी मांगे मान ली गई। इनकी मांगे मजदूरी बढ़ाने को लेकर थी, बीमार होने पर पैसे नहीं काटे जाएं, तय काम से अधिक काम करवाने पर अधिक मजदूरी दी जाए, हर महीने दो दिन की छुट्टी दी जाए और चार साल पर मजदूरी को फिर से तय किया जाए।

इसप्रकार कामगार महिलाओं ने संघर्ष किया और संगठन बनाया। शहर के अलग–अलग हिस्सों में इन संगठनों ने मिलकर रोजमर्रा का संघर्ष जारी रखा। कामगार महिलाओं की सारी कठिनाइयां सिर्फ काम देने वाले मध्यम वर्ग से हल नहीं हो सकती थी। अतएव सरकार पर भी उनके जीवन के बारे में सोचने को मजबूर किया गया।

महाराष्ट्र के कई शहरों में और फिर राज्य स्तर पर इनके संगठन बने। इनके संघर्षों के कारण ही महाराष्ट्र में देश का पहला 'घरेलू कामगार कानून 2008' बना। इस कानून के बनने से इनकी पहचान बनी। घरेलू कामगार महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। घरेलू कामगार महिलाओं की समस्या के लिए एक राज्य स्तरीय बोर्ड गठित किया गया। राशन कार्ड में अलग तरह से चिन्हित किया गया और इन्हें राशन उपलब्ध कराया गया। ढीली सरकारी व्यवस्था और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण घरेलू कामगार महिलाओं को जीवन में आशा के अनुरूप परिवर्तन नहीं हो सका। हाँ, एक काम हुआ कि इन लोगों ने संघर्ष करना सीख लिया। संगठन की शक्ति इन्हें समझ में आ गई। इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा। संगठन और संघर्ष के बल पर घरेलू कामगार महिलाओं के लिए न्याय, अस्मिता, बराबरी और शोषण उत्पीड़न से मुक्ति वाले जीवन तक पहुंचा जा सकेगा।

उद्योग धंधे एवं शहरीकरण के कारण शिक्षित मध्यम वर्गीय महिलाओं के घर से बाहर निकलकर काम में शामिल होने से घरेलू कामगार एक 'आर्थिक पेशे' के रूप में आकार ले रहा है।

भारतीय जनमानस में अभी भी घरेलू काम को एक वैध पेशे के तौर पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतएव तमाम इसकी चुनौतियों के साथ उस अस्वीकृति ने घरेलू कामगारी को मूल रूप से कम आर्थिक मूल्य के पेशे के तौर पर चिन्हित किया जाता है। इतिहास यह बताता है कि केवल कानून बना देने से समस्या का समाधान संभव नहीं है। मेहनतकश वर्ग को अपना जुझारू संघर्ष को जारी रखना होगा, तभी महिलाओं की घर और बाहर में परिस्थितियां बदल सकती हैं। संघर्ष के बलबूते पर समाज की मनोवृतियों में भी बदलाव आना संभव है और इसके लिए समाज के सभी तबकों को प्रयास करने की जरूरत है। घरेलू कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाना समय की मांग है। एक ऐसी नीति जो इस बात को मान्यता दे कि यह क्षेत्र महिलाओं और देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है।

साहित्य समीक्षा

'महिलाएं अक्सर अदृश्य होती हैं और श्रमिक के रूप में उन्हें मान्यता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि सबसे पहले तो वे औरतें होती हैं और दूसरा यह कि वे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती हैं जो अधिकतर दबी–छिपी होती हैं। अर्थव्यवस्था में उनके काम और योगदान को, परिवार और समुदाय में उनके कार्य को कम करके आंका जाता है, खास तौर से इसलिए क्योंकि वे घरों में काम करती हैं, घरेलू कामगार या नौकर होती हैं, परिवार के कारोबार या खेतों में बिना वेतन के हाथ बंटाती हैं।

अरविंद जैन के अनुसार, ''हम स्त्री की स्वतंत्र सोच को बर्दाश्त नहीं करते। स्त्री हमारी कालोनी या उपनिवेश है, कॉलोनी को जिस तरह शासित किया जाता है उसी तरह हम स्त्री को शासित करना चाहते हैं।''

कामकाजी महिला को अपने पेशे में कदम–कदम पर पुरुषवादी अहम् का न सिर्फ सामना करना पड़ता है, बल्कि तरह–तरह के लांछनों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। वह प्रतिरोध कर उसे तोड़ने का प्रयास करती है किन्तु इस प्रक्रिया में स्वयं टूट जाती है या टूटती नहीं तो बिखर जरूर जाती है।

घर से बाहर निकलकर दूसरों के घरों में व काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की समस्याओं और परेशानियों की समीक्षा विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में के. चक्रवर्ती (1978) ने अपने अध्ययन में किया है। इन्होंनें अपने अध्ययन में काम करने वाली महिलाओं के समक्ष आनेवाली अनेकानेक समस्याओं और चुनौतियों का विश्लेषण किया है।

भारतीय महिलाओं पर अपना अध्ययन समकालीन परिस्थितियों के संदर्भ में नीरा देसाई और कृष्णराज (1987) ने किया है।

सुशीला कौशिक (1985) ने अपना अध्ययन महिलाओं के उत्पीड़न पर विशेष रूप से केन्द्रित किया है। समाज में 'महिला' पर होने वाले अत्याचार की विभिन्न स्थितियों उनके स्वरूपों और अभिकर्ताओं के विश्लेषण का एक संदर्भ इन्होंने प्रस्तुत किया है। अनेकानेक सुधारों और प्रयासों के बाद भी महिलाएँ निरन्तर उत्पीड़न को झेल रही हैं।

महिलाओं के विरूद्ध किए जाने वाले विभिन्न अपराधों तथा बलात्कार, अपहरण, हत्या, वासना और मारपीट आदि को निर्दयता और अमानवीय कृत्यों के प्रमुख स्वरूप के रूप में डॉ. राम अहूजा (1987) अपने अध्ययन में प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अपराधों का विश्लेषण अपराधी और पीड़ित व्यक्ति दोनों के दृष्टिकोण से किया है।

जालना हैन्मर, जिल रेडफोर्ड और एलिजाबेथ ए.स्टैन्को (1989) ने महिलाओं पर पुरुषों द्वारा उत्पीड़न को विभिन्न देशों के संदर्भ में अलग–अलग अध्यायों में प्रस्तुत करते हुए आठ अध्यायों में अपने अध्ययन को प्रस्तुत किया है। अध्ययनों के इस संग्रह में महिलाओं पर पुरुष उत्पीड़न की योजनाओं की पिछले 50 वर्षों के महिला विशेषज्ञों द्वारा पाश्चात्य देशों में महिलाओं पर घर और घर के बाहर होने वाले बलात्कारों तथा अन्य शारीरिक और लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया गया है।

पुलिस द्वारा सुरक्षा के तहत् महिलाओं के प्रति हिंसा की जाती है। जबकि इस संदर्भ में पुलिस व्यवहार, आज भी जटिल और अत्यधिक आपत्तिजनक मुद्दा अपराधशास्त्रियों और महिला विशेषज्ञों द्वारा माना गया है।

उपरोक्त विषय पर महत्वपूर्ण विवेचन पाश्चात्य समाजों विशेषकर उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया और पं.यूरोप के संदर्भ में दी गई है। यह महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की मध्यवर्ती स्थिति की एक अलग ही उपस्थिति प्रस्तुत करती है। योगदानकर्ताओं ने इन पश्चिमी समाजों में पुलिस व्यवहारों की विभिन्नताओं और समानताओं को स्पष्ट किया है।

जस्टिम एम. फातिमा बीबी (1991) ने अपने अध्ययन में महिला कानूनों और उनके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में होनेवाले परिवर्तनों की विस्तृत विवेचना की है।

दीपा माथुर (1992) ने कामकाजी महिलाओं पर किये गये अपने अध्ययन में यह बताया कि कामकाजी महिलाओं की उत्पीड़न की कौन–सी समस्याएँ हैं तथा उनके काम पर उत्पीड़न का क्या प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन में महिलाओं की कार्य प्रेरणाओं का भी विस्तृत वर्णन किया गया है।

मीना ए. कलेकर (1995) ने महिला उत्पीड़न पर एक नवीन दृष्टिकोण से अपने अध्ययन को केन्द्रित किया है। इन्होंने अपनी कृति में महिलाओं को अधीनता (परतंत्रता) की स्थिति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकसित किया है कि किस प्रकार समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने महिलाओं की अधीनता की स्थिति को विकृत रूप दिया है। अपने अपने जीवन अनुभव और स्व विश्लेषण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को वर्तमान में विवेचित किया है।

भारत में महिलाओं पर कानून के प्रभाव के सम्बन्ध में भी शोधकर्ताओं ने अध्ययन किये हैं। (चेतन मेहताः 1996) मेहता ने अपने अध्ययन में यह पाया कि सदियों से भारतीय महिला पीड़ित, प्रताड़ित, असहाय, दुर्बल, दीन–हीन, विपन्न एवं शोषित होती रही है। उन्होंने अपने अध्ययन के निष्कर्षों में यह सुझाव दिया कि कानूनी अधिकारों की जानकारी होने पर भारतीय महिलाएँ अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है। वह अत्याचारों, अनाचारों, अतिक्रमण, उत्पीड़न एवं शोषण से भी मुक्त हो सकती हैं। कानूनी अधिकार भारतीय महिलाओं को अपने दबे हुए, बूझे हुए, मुरझाये हुए चेहरे से शोषण की परत हटाकर अपने जीवन को आनन्दमय उल्लासपूर्ण एवं स्वायत्त बना सकते हैं। मेहता ने अपने अध्ययन में दहेज से लेकर सम्पत्ति के अधिकार श्रम नियोजन, विवाह से सम्बन्धित कानूनी पहलुओं का समावेश कर विश्लेषण किया है।

भारतीय समाज में नारी विषय पर प्रभा आप्टे (1996) ने ऋग्वेद से लेकर वर्तमान समाज तक में नारी की स्थिति की व्याख्या की है। इसमें बदले सामाजिक परिदृश्य में महिलाओं की समस्याओं एवं शोषण के विरूद्ध महिला संगठनों की भूमिका को भी स्पष्ट किया गया है।

श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव एवं श्रीमती आशारानी श्रीवास्तव (2004) ने अपनी पुस्तक 'महिला शोषण और मानवाधिकार' में विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति एवं संविधान में महिलाओं और पुरुषों की समानता की बात कही है तथा मानवाधिकार की कसौटी पर महिला शोषण और कानूनी संरक्षण इस पुस्तक के अन्तिम अध्यायों में है।

संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्पष्ट है कि ऐसे में कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान, उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करना मानवीय एवं नैतिक रूप से आवश्यक है। कामकाजी महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार जहाँ उनकी उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार लाता है, वहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनके मानवाधिकारों का हनन उनकी कार्यक्षमता को बाधित करता है।

स्त्रियाँ जहाँ कार्य करती हैं वहाँ उनके मालिकों द्वारा कभी–कभी स्त्रियों का यौन शोषण भी किया जाता है। उन्हें ऐसा करने के लिए आर्थिक एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाते हैं और समर्पण न करने की स्थिति में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

अब तक किये गये अध्ययनों के पुनरावलोकन से यह पता चलता है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के संबंध में कोई उल्लेखनीय अध्ययन नहीं किया गया है और न ही उनकी स्थिति को सुधारने के लिए शासकीय अथवा अशासकीय स्तर पर कोई खास प्रयास नहीं किए गये हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य घरेलू महिलाओं की समस्याओं को सामने लाना है। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:–

1. घरेलू कामकाजी महिलाओं की सामान्य जानकारी ज्ञात करना।
2. घरेलू कामकाजी महिलाओं की पारिवारिक एवं आवासीय स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्रित करना।
3. घरेलू कामकाजी महिलाओं की शिक्षा एवं मनोरंजन के संबंध में जानकारी एकत्रित करना।
4. कार्य स्थल पर इनके साथ होने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना।
5. घर एवं बाहर काम करने के कारण होने वाली समस्याओं से सामंजस्य स्थापित करने के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।

उपकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। किसी समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य–कारण संबंधों का पूर्वानुमान करने की कोशिश करता है। यह पूर्वानुमान ही उपकल्पना है। यह कामचलाऊ अनुमान या चिन्तन अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करता है। अध्ययन को आगे बढ़ाता है। वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी उपकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी॥ हमारा अध्ययन का उद्देश्य उपकल्पना को सही साबित करना नहीं होता है वरन् वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। उपकल्पना का उद्देश्य विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना है। यह शोधकर्ता का मार्गदर्शन करता है। शोधकर्ता को अन्धकार में भटकने से बचाता है। गुडे एवं हाट ने कहा है कि ''उपकल्पना अनुसंधान और सिद्धान्त के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है।'' पी.वी. यंग ने लिखा है कि उपकल्पना एक कार्यवाहक विचार है यह उपयोगी खोज का आधार बनता है। इसे हीं कार्यवाहक उपकल्पना कहा जाता है।

इस प्रकार उपकल्पना अध्ययनकर्त्ता का मार्ग दर्शन करती है। सही दिशा बताती है। बिना उपकल्पना के हम अनुसंधान करने में असमर्थ हैं। अतः उपकल्पना अध्ययन के पूर्व का एक निष्कर्ष है या अनुमान है जिसे अनुसंधानकर्त्ता अपनी शोध की समस्या के लिए बनाता है और अपने उस पूर्व विचार की सत्यता की परीक्षा के लिए जरूरी सूचनाओं का संकलन करता है। फिर विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। इसप्रकार उपकल्पना सामाजिक शोध को आधार प्रदान करती है।

इस प्रकार अध्ययन विषय से संबंधित उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है जिन्हें निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है।

1. घरेलू कार्य करने वाली महिलायें गांवों से शहरों की तरफ पलायन करती हैं इसलिये उनका परिवार एकाकी होता है।
2. कामकाजी महिलाओं की स्थिति गैर कामकाजी महिलाओं की तुलना में उच्च होती है।
3. शहरी कामकाजी महिलाएँ ग्रामीण परिवेश से आनेवाली महिलाओं से ज्यादा जागरूक होती है।
4. कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इनके रहन–सहन का स्तर निम्न होता है।
5. आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के फलस्वरूप ये अपने जीवन एवं अपने बच्चों की देखभाल बेहतर रूप से कर सकती हैं।

अध्ययन पद्धति

वैज्ञानिक अध्ययन की एक व्यवस्थित पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। हम अनुसंधान करते हैं और सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं। जब हम किसी घटना का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा करते हैं तो हमारा अध्ययन मन की चंचलता एवं ऐच्छिक विचारों द्वारा प्रभावित नहीं होता। इस पद्धति द्वारा किया गया अध्ययन पूर्ण कर्मविषयक होता है।

किसी भी क्षेत्र के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से अधिक शुद्ध अथवा सही ज्ञान संकलित किया जा सकता है। मानव के सामाजिक क्षेत्रों में भी इस पद्धति को अपनाया जा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति तो मूलतः वही होगी। इस पद्धति द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में भी शुद्ध एवं सही ज्ञान प्राप्त करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

अगस्त काम्ट। नहनेजम ब्वउजम का विश्वास है कि समग्र ब्रह्मांड ;ेवसम नदपअमतेमद्ध स्थिर प्राकृतिक नियमों ;प्दअंतपंइसम दंजनतंस स्ंूद्ध द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है और यदि इन नियमों को समझना है तो आध्यात्मिक या तात्विक आधारों

पर नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही समझा जा सकता है। अगस्त कॉम्ट का कहना है कि वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या कल्पना का कोई भी स्थान नहीं है। इसके विपरीत निरीक्षण (observation), परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं।

जब वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से अध्ययन किया जाता है तो अध्ययनकर्ता तटस्थ व निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली, अनुसूचि या किसी अन्य प्रविधि की सहायता से तथ्य संकलित करता है। उनका वर्गीकरण करता है, विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, कार्य–कारण सम्बन्धों का पता लगाता है। सामान्यीकरण करता है।

वैज्ञानिक पद्धति के अन्तर्गत सर्वप्रथम विषय से संबंधित तथ्यों (Facts) को वास्तविक निरीक्षण द्वारा एकत्रित किया जाता है, इसके पश्चात इसप्रकार एकत्रित तथ्यों का उनकी समानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और अन्त में उनका विश्लेषण कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। लुण्डवर्ग के अनुसार यही वैज्ञानिक पद्धति है।

प्रस्तुत अध्ययन घरेलू कामकाजी महिलाओं से संबंधित है जो कि अर्थोपार्जन के लिए सुबह से शाम तक एक ही घर या एक से अधिक घरों में घरेलू कामकाज जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना आदि कार्य करती हैं। इन महिलाओं को परिस्थितिवश यह कार्य करना पड़ता है। इन कामकाजी महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है, भले ही वह पुरूषों के बराबर या पुरूषों से अधिक काम क्यों न करें। प्रायः इस कार्य को करने वाली महिलाएं निम्न वर्ग से संबंधित होती हैं। इनके अभिभावक गरीबी के कारण इन्हें शिक्षा दे पाने में असमर्थ होते हैं। फलस्वरूप ये आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाते हैं।

अमूमन ये कामकाजी महिलाएं तंग बस्ती में रहती हैं। दैनिक जरूरतों के बढ़ने के कारण इनका परिवार इस स्थिति में नहीं होता कि अकेले घर का खर्चा उठा पाए। यही वजह है कि इनके घर की महिलाएं छोटे–मोटे काम करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ती हैं। महिलाओं के इस प्रयास से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आता है। पहले जहां ऐसे घर की महिलाओं को केवल पति पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं आज वह अपनी खुद की जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। हाँ, इस कार्य को करने से इन महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। घरों में काम करने वाली महिलाओं को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सारी उपकल्पनाएं यहां सिद्ध हुई हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इन्हें अभी तक कामगार का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। सरकारों द्वारा घरेलू कामगारों के लिए किए जा रहे प्रयास अपर्याप्त हैं। इनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए गंभीरता के साथ कई कदम उठाने की जरूरत है। घरेलू कामगारों को संगठित होने की जरूरत है। इन्हें व्यापक संघर्ष के साथ खुद को जोड़ना होगा। सामंती सोच से लड़ने की जरूरत है। इस सोच को समाप्त किए बगैर भेदभाव समाप्त नहीं हो सकता है। किसी काम का छोटा या बड़ा नहीं मानना होगा। समाज के सभी तबकों को अपने सोच को बदलने की जरूरत है और मिलजुलकर प्रयास करने की जरूरत है, तभी कामकाजी महिलाओं की स्थिति एवं परिस्थिति में सही सुधार हो सकता है।

कुछ सुझाव यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं–

- कामकाजी महिलाओं को पूरा सम्मान देना होगा।
- उन्हें हिकारत की निगाह से नहीं देखना होगा।
- कामकाजी महिलाओं को अवकाश दिया जाना चाहिए।
- काम के घण्टे निश्चित होने चाहिए।
- उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आयोग बनाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1 चांग, जी और अब्रामोवित्ज, एम (2000), डिस्पोजेबल डोमेस्टिकः वैश्विक अर्थव्यवस्था में अप्रवासी महिला श्रमिक। कैम्ब्रिजः साउथ एंड प्रेस

2 डिसूजा ए. (2010), घरेलू कामगारों के लिए अच्छे काम की ओर बढ़नाः ILO के काम का अवलोकन वर्किंग पेपर 2/2010. पीपी।

3 हेइटलिंगर, ए (1979), घरेलू श्रम और श्रम शक्ति के प्रजनन का मार्क्सवादी सिद्धान्त, लंदनः पालग्रेव मैकमिलन

4 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1951), घरेलू श्रमिकों के रोजगार की स्थिति और स्थिति

5 किर्कमैन बोसेन, जे और मार्टिन, टी (2007), अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण को लागू करना नागरिक समाज के लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शिका है। डेनिस मानव अधिकारों के लिए संस्थान।

6 महंत, यू और गुप्ता आई (2015), भारत में घरेलू कामगारों के लिए आगे की राहः कानूनी और नीतिगत चुनौतियां, कानून नीति संक्षिप्त, 9, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, 10 जून 2017

7 पवार एम. (2012), भारत में कल्याण के लिए एक सही आधारित दृष्टिकोण को अपनाना, तुलनात्मक समाज कल्याण जर्नल, 28 (1), 35

8 राजस्थान घरेलू मदद के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है (2016) द टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 जुलाई 2017

9 राव, जे. (2017), भारत में घरेलू श्रम का आकलन करना, यूनिसेफ, 4 जुलाई 2017

10 बासंती, एन. (2011), भुगतान किए गए घरेलू काम को संबोधित करना, एक सार्वजनिक नीति की चिंता, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 46

11 एन. बधावन (अक्टूबर 2013), डोमेस्टी सिटी में रहनाः झारखण्ड में घरेलू काम के लिए महिलाएं और पलायन

12 एन.नीता (जुलाई 2009), घरेलू सेवा के विषयः विशेषताएं, कार्यसंबंध और विनियमन

13 बरिया निशा, "वैश्वीकरण घर आता हैः प्रवासी घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा (पीडीफ), मानवाधिकार वॉच रिपोर्ट 2007, 29 नवम्बर 2013

14 Sharma Seeta, Ashya Iyer. Domestic Workers and Trafficking in defence of the Rights of Domestic workers, Labour File. 2010 Jan-June;8(3). Article.

15 Sadri, Sorab. Labour within the Economy and the Polity of India, the Indian Journal of Labour Economics. 1994;137(4).

16 Anderson, Bridgel. Doing the Dirty work? The Global Politics of Domestic Labour, New York: 2nd books; c2000.

17 Bannerji N. Women workers in the unorganized sector. The Calcutta experience. Hyderabad: Sangham Book Pvt. Limited; c1985.

18 Bhatt Ela. Shramshakti Report of the National Commission on Self-employed women and women in the Informal sector, Sewa, Ahmedabad; c1989.